

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

रोजगार सूचना सं. ई/पीवी/आर.सी.टी./2020/E-38178

दिनांक 09.04.2021

कोविड -19 महामारी को देखते संविदा के आधार पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर मंडल के चिकित्सालयों के लिये जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की ऑनलाइन साक्षात्कार के द्वारा भर्ती हेतु 08 रिक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका राक्षेप में विवरण निम्नांकित है—

1. रिक्ति का विवरण —

रागान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी				
क्र.सं.	पद	रिक्तियों की संख्या	न्युनतम शैक्षणिक योग्यता	आयु
1	सी.एम.पी/जी.डी.एम.ओ	08	एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त किरी सरथान से एम.वी.बी.एस.	1. इस रोजगार सूचना की प्रकाशन की तिथि को उम्मीदवार की आयु 53 वर्ष से अधिक न हो। अपिव/अजा/अजजा तथा अन्य अधिसूचित श्रेणियों के लिए आयु में छूट संवंधित नियम लागू होंगे जैसे अन्य पिछ़ा वर्ग के लिए 03 वर्ष तथा अजा/अजजा के लिए 05 वर्ष। 66 वर्ष की आयु तक के लिए 2. सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों/केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त शासकीय चिकित्सा अधिकारियों को भी शामिल किया जायेगा।

2. मासिक पारिश्रमिक/लाभ

समय—समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित निर्देशानुसार मासिक पारिश्रमिक देय होगी।

सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	प्रतिमाह रुपये 75000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र)
सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सक	प्रतिमाह रुपये 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) (वशर्ते सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सक/ केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त जी.एम.ओ. द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक + पेशन, अंतिम वेतन भुगतान से अधिक न हो।)

3. संविदा की अवधि/संविदा समाप्ति

यह नियुक्ति पुरी तरह से संविदा के आधार पर होगा जो कि 30.06.2021 तक या जब तक कोविड-19 रहेगा जो भी पहले हो तक के लिये होगा। यह अनुबंध कोविड महामारी के रोकथाम के मददेनजर किया जा रहा है यह नियमित नियुक्ति/समयावधि विरतार/पुनः नियुक्ति से सबधित कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। रेलवे प्रशासन को यह अनुबंध कभी भी किसी भी स्तर पर निररत करने का अधिकार होगा। संविदा की अवधि के अधिन 03 दिनों के नोटिस के द्वारा दोनों पक्षों के तरफ से अनुबंध खत्म किया जा सकता है।

4. चयन का माध्यम

- अ साक्षात्कार के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जायेगी। लॉकडाउन के मददेनजर यह ऑनलाइन मोड यथा व्हाट्साप विडियो कॉलिंग/स्काइप/गुगल मीट के द्वारा किया जायेगा। साक्षात्कार की तिथि एवं समय आवेदकों को माबाईल/ईमेल के द्वारा सुवित किया जायेगा।

30/2/2021

- आवेदको को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम जानकारी हेतु दपूमरे की वेबसाइट एवं इमेल वेक करें ।
- साक्षात्कार प्रतिदिन के अनुसार एवं त्वरित आधार पर नियुक्ति की जायेगी ।
- आवेदक अपने आप को शॉर्ट नोटिस पर अपनै आप को साक्षात्कार के लिये तैयार रखें ।
- दपूम रेलवे के क्षेत्राधिकार के उभिदवारों को वरियता दी जायेगी
- जब कभी भी रिकित पूर्ण हो जायेगी अधिसूचना स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
आवेदक दिये गये निर्धारित प्रोफार्मा (**Annexure-1**) में आवेदन पुरी तरह से भर कर तथा मांगे गये दस्तावेजों को रालग्न कर दिनांक 18.04.2021 या उससे पहले ईमेल **secrr2020@gmail.com** से भेजे ।

टिप्पणी – प्राप्त आवेदनों के आधार पर साक्षात्कार एक दिन से अधिक तक जारी रहेगा । साक्षात्कार के लिये कोई टीए/डीए/रहने की सुविधा आदि प्रदान नहीं किया जायेगा ।

5. वांछित दस्तावेज –

1. पासपोर्ट आकार का दो नवीन फोटो ।
2. प्रमाणन के लिए निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र :–
 - (i) शैक्षणिक योग्यता, उल्लेखित डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण –पत्र, संवंधित क्षेत्र में डिप्लोमा इत्यादि ।
 - (ii) जन्मतिथि के प्रमाण के लिए प्रमाण पत्र ।
 - (iii) अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कोई हो (अनिवार्य)
 - (iv) पिछड़ा वर्ग/अनुजाति/अनुजनजाति के उम्मीदवार द्वारा जाति प्रमाण—पत्र ।
 - (v) सेवा प्रमाण पत्र (सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों/केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त जी.एम.ओ. के लिए)
 - (vi) अंतिम वेतन प्रमाण पत्र और पैशेन विवरण (सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों/केन्द्र अथवा राज्य शासन से सेवानिवृत्त जी.एम.ओ. के लिए)
3. उम्मीदवार के पास भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/संस्था से एम.बी.बी.एस. तथा स्नातकोत्तर की उपाधि (जो भी आवश्यक हो) होनी चाहिए और प्रमाण पत्र को राज्य चिकित्सा परिषद् या भारतीय चिकित्सा परिषद् या उचित प्राधिकारी के अधीन स्थायी पंजीयन होना चाहिए ।
4. प्रमाण पत्रों/ अन्य आवश्यक दस्तावेजों की साक्षांकित प्रतिलिपियाँ का एक सेट ।
5. वर्तमान नियोक्ता से (यदि कोई हो तो) अनापत्ति प्रमाण—पत्र
6. आधार कार्ड, पैन कार्ड

6. अन्य नियम एवं शर्तें –

- (i) संविदा चिकित्सकों रेलवे आवास हेतु अधिकार नहीं होगा तथापि आवास रिक्त रहने की स्थिति में उन्हे यह प्रदान किया जायेगा तथा नियमानुसार रेन्ट एवं आवास किराया भत्ता की कटौती की जायेगी ।
- (ii) निजी प्रैक्टिस की अज्ञा नहीं होगी
- (iii) सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों को रेलवे पास/पीटीओ., टीए/डीए आदि नहीं दिया जायेगा ।
- (iv) नियमितिकरण का अधिकार नहीं होगा
- (v) नियुक्ति हेतु आवश्यक चिकित्सा परीक्षण पास करना आवश्यक होगा तथा वर्तमान नियोक्ता से (यदि कोई हो तो) अनापत्ति प्रमाण—पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा ।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया इस रेलवे की वेबसाइट www.secr.indianrailways.gov.in → Recruitment → Raipur Division में लाग आँग करें। किसी भी विवाद की स्थिति में इस अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा ।

आर. २१/२०२१-४.२१
(आर. शंकरन)

सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते वरि मंडल कार्मिक अधिकारी